

BOOK NO. 01 SL NO. 152
Date 21 SEP 2022



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, पुनीता देवी

पिता/पति रोहित कुमार

उम्र 48 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फर के वार्ड संख्या 35

मोहल्ला कलह रोड, देवी मंवीर पोस्ट रमना, थाना मिहणपुरा, जिला मुजफ्फर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फर के वार्ड संख्या 35 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फर के वार्ड 35 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

पुनीता देवी

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - ललन कुमार

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम- ललन कुमार, पिता-रामनारायण मल्ल

पता- रज्जू साह लेन, रमना, थाना-मिहणपुरा, वार्ड नं. 35, जिला-मुजफ्फर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - राकेश कुमार

नाम- राकेश कुमार, पिता-एक आश्विनारायण ओझा,

पता- रज्जू साह लेन, रमना, थाना-मिहणपुरा, वार्ड नं. 35, जिला-मुजफ्फर

स्थान: मुजफ्फर

दिनांक: 21-09-22

The Deponent Identified
Advocate has Solemnly declared
before me

लेगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट: कादंबालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ लेना

Raj Kumar Rai
NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रजापत *मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 35 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- पुनीता देवी

पिता/पति का नाम- शोहित कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-
(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्य
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्य
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुन्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड- शुन्य
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुन्य
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्य
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्य
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्य
- (iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- शुन्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्य

- (v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुन्य
- (vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शुन्य
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या- शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुन्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शुन्य

(ii) शहरी भूमि- शुन्य

(iii) भवन- पक्का मकान (मोरोसी)

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 50,000/-

(ii) बैंक बैलेन्स- 11,000.54.

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन

पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण सोना- 50 ग्राम.

(पूर्ण विवरण दें) चांदी- 200 ग्राम.

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ शून्य

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रिक - रघुनन्दन हाईस्कूल समर्वा, समस्तीपुर.

इन्टर - नितेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर.

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 22-09-22

पुनीता देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी द्वारा यथार्थ विवरण